न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नामः–रूक्मणि रियार सिहाग,आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः–24/2022 विविध (धारा 14 सिक्योरिटाइजेशन)

बंधन बैंक लिमिटेड (पूर्व नाम गृह फाइनेंस लिमिटेड) शाखा जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी राकेश दयाराम चौधरी।

––प्रार्थी

बनाम

1. श्री नितेश कुमार भारद्वाज
   पता–मकान नं. 09/67, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, हनुमानगढ़ जंक्शन जिला हनुमानगढ़।
2. श्री राजेश कुमार
   पता–मकान नं. 09/67, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, हनुमानगढ़ जंक्शन जिला हनुमानगढ़।
3. श्रीमती मंजू शर्मा
   पता–मकान नं. 09/67, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, हनुमानगढ़ जंक्शन जिला हनुमानगढ़।

.................अप्रार्थीगण

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सत्यमेव जयते हनुमानगढ़

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002।

आदेश **दिनांकः–28.06.2023**

प्रार्थी बंधन बैंक लिमिटेड (पूर्व नाम गृह फाइनेंस लिमिटेड), जो कि कम्पनी अधिनियम 2013 के तहत निगमित एक कम्पनी है और बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के तहत अपना बैंकिंग व्यवसाय चला रही है, जिसका पंजीकृत कार्यालय–डी.एन. 32, सैक्टर वी सॉल्ट लेक सिटी कलकता 700091, जिसका शाखा कार्यालय द्वितीय तल, कृष्णा कॉम्पलेक्स, कैलाशपुरी टोंक रोड़, जयपुर है जिसका प्राधिकृत अधिकारी श्री राकेश दयाराम है।

प्रार्थी बंधन बैंक जरिये प्राधिकृत अधिकारी की ओर से श्री पराग जैन वकील उपस्थित आये जिनको सुना गया। बैंक के वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण को कुल रूपये 23,00,000/– की ऋण सुविधा दिनांक 23.08.2019 को स्वीकृत की गई थी। अप्रार्थीगण ने उक्त ऋण सुविधा की ऐवज में अपनी अचल सम्पत्ति– मकान नं. 09/67, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन जिला हनुमानगढ़ राजस्थान पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन व ढाँचा आदि सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, जिसकी माप लगभग 90 वर्गमीटर है, जो कि श्री श्रीमती मन्जू शर्मा पत्नी श्री राजेश कुमार शर्मा के नाम से है, को आवश्यक दस्तावेजों का निष्पादन करके प्रार्थी बैंक के पक्ष में साम्यिक बंधक किया।

अप्रार्थीगण ने बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण को ऋण अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार नहीं चुकाने पर उक्त ऋण खाता दिनांक 31.03.2021 को अक्रियान्वित आस्ति के रूप में (एन.पी.ए.)

वर्गीकृत कर दिया गया है। अप्रार्थीगण के ऋण खाते में बकाया राशि 27,81,750.17 दिनांक 26.08.2021 तक का ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके पश्चात का ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त बकाया निकलते है और इस राशि का भुगतान करने के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है।

अप्रार्थीगण के ऋण खाता एनपीए होने पर एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 26.08.2021 भेज कर 60 दिन में ऋण राशि 27,81,750.17/– दिनांक 26.08.2021 तक का ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके पश्चात का ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के अदा करने की मांग की गई। प्रार्थी बैंक के वकील ने यह भी कथन किया कि नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक की बकाया रकम न तो अदा की और न ही नोटिस का कोई जवाब दिया।

अप्रार्थीगण द्वारा देय ऋण राशि का भुगतान बावजूद मांग के प्रार्थी बैंक को नहीं करने पर उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी बैंक उपरोक्त वर्णित रहन शुदा सम्पति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर शेष देय ऋण राशि वसूल करने का अधिकारी है। उक्त एक्ट की धारा के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त रहन शुदा बंधक सम्पति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा लिया जाना है। प्रार्थी बैंक को भौतिक कब्जा लेने हेतु पुलिस सहायता दिलाये जाने के आदेश फरमाये जावे।

प्रार्थी बैंक के वकील के कथनों पर मनन किया और पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण राशि का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को नोटिस प्रेषित करना पाया गया। इसके पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि की शर्तों के मुताबिक ऋण राशि का भुगतान प्रार्थी बैंक को नहीं करने पर The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत तथा प्रार्थी बैंक के द्वारा पेश किये गये शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी अचल सम्पत्ति–मकान नं. 09/67, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन जिला हनुमानगढ़ पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन व ढाँचा आदि सम्पत्ति के अभिन्न अंग है(माप लगभग 90 वर्गमीटर है), जो कि श्री श्रीमती मन्जू शर्मा पत्नी श्री राजेश कुमार शर्मा के नाम से है, जिसका भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ को निर्देश दिये जाते है कि प्रार्थी बैंक को चाहे अनुसार पुलिस सहायता संबंधित पुलिस थाना के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 28.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सत्यमेव जयते हनुमानगढ़

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official